# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 174/2025** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/328**
**दायर दिनांक :– 07.07.2025** **निर्णय दिनांक :– 20.01.2026**

1. हासमदीन पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. फतेखातू पत्नी हासमदीन जाति मुसलान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. अब्दुल मजीद पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. अब्दुल जबार पुत्र मजीद खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
3. अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम खां जाति मुलसमान नि. जोड. तहसील बाप जिला फलोदी
4. अब्दुलरहीम पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
5. अब्दुल रहीम पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
6. अयूब खां पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान नि. जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
7. आकू खां पुत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
8. इदरिश पुत्र सिकन्दर जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसल बाप जिला फलोदी
9. इमामदीन पुत्र निहाजदीन जाति मुसलमान नि. जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
10. कायमों पत्नी नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
11. ताजमोहम्मद पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान नि. जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
12. नूरमोहम्मद पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान नि. जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
13. बशीरखां पुत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
14. मोहम्मद खां पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
15. मोहम्मद सलाम पुत्र शेर खां जाति मुसलमान फौत के कायम मुकाम
    15/1 बिस्मिला पत्नी मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान नि. जोड़ तह. बाप जिला फलोदी
    15/2 इमरानखान पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान नि. जोड़ तह. बाप जिला फलोदी
    15/3 उमरफारूक पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान नि. जोड़ तह. बाप जिला फलोदी
    15/4 सुमेरा पुत्री मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी जोड़ तह. बाप जिला फलोदी
16. रहीमबक्स पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
17. वसीम अकरम पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
18. शेर मोहम्मद पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

Satya
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

19. हबीबुल्ला पुत्र शेर खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित** :—1. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता प्रार्थी

## —:: निर्णय ::—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 1.9830 हैक्टेयर भूमि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 23/3920 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 183/1372 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या संख्या 1 ता 19 के जमाबंदी में दर्ज हिस्से बंट में आता है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 का अपने—अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त मौके पर चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया है। उपरोक्त पूर्व आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा वर्तमान में इसी अनुसार काश्त कर रखी है जो मौके पर मौजूदहै प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि के चारों तरफ खूंटे रोप रखे है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज चली आ रही है अप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त वाली भूमि को छोड़कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं प्रार्थीगण द्वारा रोपे गये खूंटे वाली भूमि में प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने को उतारू है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

Satya

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

## प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड़ के खाता संख्या 40 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को रोका जाता है तो आराजी के उपयोग व उपभोग, कृषि ऋण इत्यादि सुविधाओ से वंचित हो सकते है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

## सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
डाप (फलोदी)

## अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)